न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

..... महन्त प्रभुदास ..... बनाम ..... राजस्थान सरकार .....

किस्म मुकदमा ..... 225 RTA ..... मु. नं0 ..... 98 ..... वर्ष ..... 2020 .....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
04-8-20	अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। रेस्पोडेंट की और से राजकीय अधिवक्ता श्री गीगराज मीणा को सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनू द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 86/2017 अन्तर्गत धारा 212 बउनवानी राजस्थान सरकार बनाम महन्त श्री प्रभूदास चेला जयरामदास में दिनांक 05.12.2017 को एक पक्षीय रूप से आगामी आदेश तक स्थगन जारी कर ग्राम खेतड़ी कस्बा स्थित मन्दिर भूमि मन्दिर श्री दयालजी देह हाजा खातेदार खसरा नम्बर 2707 के किसी भी भू–भाग पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करने स्वरूप नही बदलने बेचान रहन हस्तान्तरण नही करने खुर्द बुर्द नही करने एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी प्रार्थी तहसीलदार द्वारा धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विधि अनुसार विचारण न्यायालय को उभयपक्ष को सुनकर निर्णय पारित करना चाहिए था। विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया विचारण न्यायालय द्वारा जारी एक पक्षीय स्थगन विधि सम्मत नही माना जा सकता है। दिनांक 05.12.2017 को जारी स्थगन आज दिनांक तक लगातार प्रभाव में है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 1 व 3 सीपीसी की पालना भी सुनिश्चित नही की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश अपास्त योग्य पाया जाता है। फलस्वरूप अपील अपीलांट इसी स्तर पर स्वीकार की जाकरविचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनू द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 86/2017 अन्तर्गत धारा 212 बउनवानी राजस्थान सरकार बनाम महन्त श्री प्रभूदास चेला जयरामदास में दिनांक 05.12.2017 को एक पक्षीय रूप से जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है। एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर धारा 212 के आवेदन पर आगामी दो माह में अन्तिम निर्णय पारित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमिल दाखिल दफतर हो।	

(रणवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर